



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252861  
CG-DL-E-12032024-252861

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]  
No. 167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 जनवरी, 2024

सं. बी/आरआर/2023-रिम्स.—क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3 (ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/17/2017-NE-part दिनांक 03-10-2023, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित्त, सहायक आचार्य (स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण) गैर-चिकित्सा की नियुक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ –

- (i) इन नियमों को सहायक आचार्य (स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण) गैर-चिकित्सा (समूह 'ए' पद) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि - उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।

3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अनर्हता** :कोई भी व्यक्ति –

(क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

5. **छूट की शक्ति** : जहाँ केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।

**संरक्षात्मक उपबंध** : इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर,

प्रो. गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./821/2023-24]

### अनुसूची

1	पद का नाम	सहायक आचार्य (स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण)
2	पदों की संख्या	01*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	समूह 'ए'
4	वेतनमान	पे-मैट्रिक्स स्तर-11
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष के लिए शिथिलनीय।
7	सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: 1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि क) समाज शास्त्र ख) समाज-कार्य ग) सामाजिक मानवशास्त्र घ) मनोविज्ञान ङ) परिचर्या शिक्षा 2) स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा (दो वर्ष)/ स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 3) स्वास्थ्य शिक्षा / परिवार कल्याण / सामुदायिक विकास के क्षेत्र में तीन वर्ष का शिक्षण और / या अनुसंधान अनुभव।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	1 (एक) वर्ष
10	नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	सीधी नियुक्ति द्वारा

11	प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	लागू नहीं
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है तो उसका संगठन	चयन समिति की संरचना : 1. स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) के सामान्य निदेशक-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ द्वारा नामित किया जाएगा, जहां आवश्यक समझा जाए - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स - सदस्य
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श।	- लागू नहीं।

**REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2024

**No. B/RR/2023-RIMS:—**In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/17/2017-NE-Part dated 03-10-2023, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor (Health Education & Family Welfare) Non-Medical in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.

**1. Short title and commencement.-**

(i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Assistant Professor (Health Education & Family Welfare) Non-Medical (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in pay matrix-** The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.-** No Person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. -** where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

By orders & in name of Chairman,

Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA,

[ADVT.-III/4/Ext./821/2023-24]

**SCHEDULE**

1	Name of post	Assistant Professor (Health Education & Family Welfare)
2	Number of post	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'A'
4	Level in the Pay Matrix	Level – 11 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non-selection post	Not Applicable
6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: 1) Master's Degree from a recognized University in any of the following subject:- a) Sociology b) Social Work c) Social Anthropology d) Psychology e) Nursing Education 2) Master's Degree/ Diploma (Two Years)/P.G. Diploma in Health Education and Family Welfare 3) Three years teaching and/or research experience in the field of Health Education/ Family Welfare/ Community Development
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	1 (one) year
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By direct recruitment
11	In case of promotion by recruitment by promotion/deputation/ absorption to be made	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition	<b>Selection Committee Composition:</b> 1. Director General of Health Services, Govt. of India – Chairman 2. The Joint Secretary looking after the affairs of the institute in the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India – Member 3. One member of the Executive Council Society of RIMS, Imphal (by rotation) – Member 4. One expert in the subject concerned from outside the institute to be nominated by the Secretary, MoHFW, where considered necessary – Member 5. The Director, RIMS, Imphal – Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable